कार्रवाई | कमाई को विदेशों में खपाने का मामला

बिल्डर के ठिकानों पर ईडी का छापा

नवभारत, जबलपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जबलपुर में बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धाराओ के तहत छापामारी की कार्रवाई की गई है। मामला कमाई को विदेश में खपाने का है। इंदौर ईडी ने गोपनीय तरीके से राजुल बिल्डर्स एंड प्रमोटस के ठिकानों पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया है जिसमें अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजुल ग्रुप के पार्टनर प्रियंक मेहता के यहां सितम्बर 2023 में आयकर विभाग की टीम ने छापमारी की थी। विदेशी संपत्तियां उजागर हुई थी। इस दौरान जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े अहम दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे थे। इसी मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने प्रियंक के तीन परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धाराओ के तहत छापामारी की कार्रवाई की है।

अमेरिकी डॉलर में भेजे गए करोड़ों

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजुल बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स ने शहर में जमीन बेचने के साथ काली कमाई को विदेशों में ठिकाने लगाया है। विदेश में साढ़े तीन करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक कीमत का फ्लैट खरीद है। यह राशि पहले पांच लाख 48 हजार अमेरिकी डॉलर में अमेरिका भेजी गई थी जो पुर्तगाल पहुंची थी।

सर्चिंग में दस्तावेज के साथ नगदी भी मिली

सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान 31 लाख रुपए की नकद मिले। इसके साथ ही यह भी पता चला कि उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत पांच लाख 48 हजार रुपए अमेरिकी डॉलर अमेरिका भेजे गए हैं, जिसे बाद में पुर्तगाल भेजा गया। इसके अलावा चार लाख 20 हजार 998 यूरो याने तीन करोड़ 65 लाख रुपए भी पुर्तगाल भेजे गए थे।

लिस्बन में भी बैंक खाता, ट्रांजेक्शन का जुटाया जा रहा ब्यौरा

प्रियंक के पुर्तगाल के लिस्बन बैंक में भी एकाउंट है। जिसके ट्रांजेक्शन का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो खातों में करोड़ों की राशि जमा है।

लिस्बन में खरीदा आलीशान फ्लैट

सूत्रों के मुताबिक राजुल बिल्डर्स के तीन ठिकानों पर छापामारी की गई। अहम दस्तावेज भी हाथ लगे है जिसमें यह पता चला है कि प्रियंक ने पांच लाख 10 हजार यूरो याने की तीन करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का पुर्तगाल के लिस्बन में आलीशान फ्लैट खरीदा है।

लंदन निवासी डॉक्टर को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि दो वर्षों तक लगातार शारीरिक संबंध रहे, तो यह स्पष्ट है कि आवेदक और पीड़िता के बीच का संबंध पूरी तरह से सहमति पर आधारित था। यदि आवेदक ने पीड़िता से शादी का वादा किया था और उसे नहीं निभाया था तो पीड़िता का स्वाभाविक व्यवहार यह होता कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बंद कर देती। हालाँकि, उसने दो वर्षों तक ऐसा नहीं किया। पीड़िता के इस व्यवहार से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह आवेदक के साथ अपने शारीरिक संबंध में हमेशा से ही सहमति से शामिल थी। उक्त मत के साथ जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने आवेदक के विरुद्ध गोहलपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर निरस्त कर दी। लंदन निवासी डॉ. जितिन के सेबेस्टियन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह और अधिवक्ता अर्णव तिवारी ने पक्ष रखा।

11 .92 लाख भू-राजस्व बकाया, बिल्डर की भूमि कुर्क

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर में भू-राजस्व की बकाया राशि वसूलने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़े बिल्डर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार तहसीलदार बरेला शशांक दुबे ने मेसर्स स्क्वायरफीट डेवलपर की ग्राम कुकड़ीखेड़ा स्थित 2.0109 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करने का वारंट जारी किया है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, स्क्वायरफीट डेवलपर से जुड़े बिल्डर विनय बन्ने, सुलेख चौकसे और राजेंद्र कुमार पर कुल 11 लाख 92 हजार 818 रुपये का भू-राजस्व बकाया था।

मांगपत्र जारी कर दिए थे अवसर

तहसील कार्यालय द्वारा कई बार मांग पत्र जारी कर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे और बकायादारों को पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए गए। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं की गई। लगातार अनदेखी के बाद तहसीलदार शशांक दुबे ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्की वारंट जारी किया। इसके तहत ग्राम कुकड़ीखेड़ा के खसरा नंबर 20, 21, 22/2 और 23/2 की भूमि को कुर्क कर दिया गया है। साथ ही, उक्त भूमि के विक्रय, दान, हस्तांतरण या किसी भी प्रकार से भारमुक्त करने पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मेसर्स स्क्वायरफीट डेवलपर की जमीन पर लगा लेन-देन पर प्रतिबंध

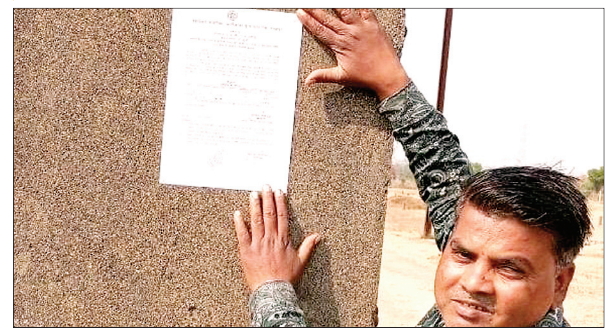

अन्य बकायादारों पर भी होगी कार्यवाही

तहसीलदार बरेला के अनुसार, जिन बकायादारों ने मांग पत्र के बावजूद भू-राजस्व जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि राजस्व वसूली को लेकर जिले में अभियान चलाया जा रहा है और बड़े बकायादारों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई की जा रही है।

गेहूं की कटाई से पहले आसमान में बादलों ने जमाया डेरा

फसल कटने को खड़ी, किसानों की धड़कनें बढ़ीं

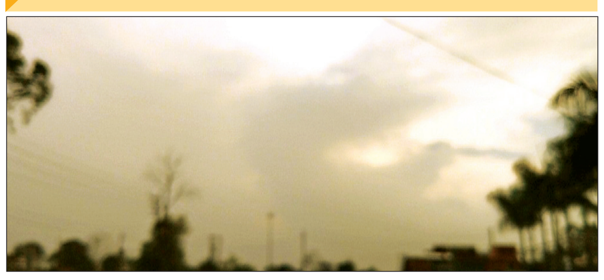

नवभारत, जबलपुर। जिले में बदल रहे मौसम से किसानों को हैरान करके रखा हुआ है। कभी दिन में तेज धूप तो कभी अचानक बादलों का डेरा जम जाता है। जिसके चलते जो गेहूं की फसलें पककर खड़ी हैं, वह थोड़ी तेज हवाएं चलने के कारण भी फसलें लहराते हुए गिर रही हैं, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी अगर आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनती है तो कटने के लिए खड़ी फसलें भीग जाने के कारण किसानों को नुकसान हो सकता है। जिससे किसानों की खड़ी हुई फसल बर्बाद हो सकती है।

कटाई का सीजन हो रहा शुरू

विदित है कि होली के बाद से ही धीरे- धीरे फसलें तैयार होने लगती हैं, गर्मी की शुरुआत होते ही कटाई का सीजन भी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कटाई के पहले ही मौसम में बदलाव आता है, तो किसान परेशान हो सकते हैं और फसलों को नुकसान भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि किसानों द्वारा लगाई गई गेहूं, चना आदि की फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। कई किसानों की फसलें पक गई है, उनकी कटाई भी शुरू होने वाली है। जबकि कुछ किसानों की फसलें अभी धीरे-धीरे पक रहे हैं। जिसकी कटाई में अभी समय है।

बिजली चमकने के साथ हुई रिमझिम बारिश

ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर तक तेज गर्मी का अहसास था, लेकिन शाम को मौसम में हल्की ठंडक घुलने लगी। शाम से रात्रि की ओर बढ़ते हुए समय दौरान अचानक मौसम ने करबट बदली, एक ओर हवा में ठंडक तेज हुई तो दूसरी ओर शाम 7 बजे बादलों में तेज बिजली लगातार चमकती रही, जिससे लोग अनुमान लगा रहे थे कि बारिश हो सकती है। रात्रि 8 बजे के बाद अचानक रिमझिम का दौर प्रारंभ हो गया जो काफी देर चलता रहा।

एडवोकेट चेंबर संबंधी मामले में सुनवाई 21 अप्रैल को

सरकार ने पेश किया जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के गेट नंबर-4 के सामने एडवोकेट चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृति हो चुकी थी। अब मामला प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित है। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट में यह जवाब पेश किया। जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ 21 अप्रैल को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में मूल याचिकाकर्ता के अलावा अन्य अधिवक्ता संघ भी इंटरवीनर बने हैं। दरअसल बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास 4 मई, 2025 को हुआ था। हाईकोर्ट के गेट नंबर-चार के सामने करीब 117 करोड़ रुपये से आधुनिक लायर्स चेम्बर और बहुस्तरीय पार्किंग बनना है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एसी शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की मौजूदगी में हुआ था। इसे लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगातार राज्य सरकार से पत्राचार किया। पिछली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब दिया गया था कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है।

युवती की अस्मत लूटी 17 .79 लाख ऐंठे

महिला थाने में आरोपी पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर। तिलहरी निवासी एक युवती को साथ में काम करने वाले युवक ने पहले तो प्रेम जाल में फंसाया इसके बाद सालों उसकी आबरू लूटी और धीरे - धीरे 17 लाख 79 हजार रूपये ऐंठ लिए। जब युवती ने पैसे वापिस मांगे तो वे मुकर गया। जिसके बाद पीड़िता महिला थाने पहुची और पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक साकार नगर, तिलहरी, निवासी युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पहचान दिनेश सिंह चौहान पिता विजय सिंह चौहान निवासी जसूजा सिटी, धनवंतरी नगर से लगभग 5 वर्ष पूर्व 2021 में एक कंपनी में कार्य किए हुई थी। दिनेश सिंह चौहान भी इसी कंपनी में कार्य करता था। जिसने उसे प्रेम जाल में फंसाया और स्वयं को अविवाहित बताया था। शादी का झांसा दिया। 8 जून 2021 को उसके घर बिलहरी में आया और माता-पिता, बहन घर में नहीं थे। तब दिनेश सिंह चौहान ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद शादी करने का भरोसा दिलाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता था।

पैसे मांगे तो नंबर किया ब्लॉक, शिकायत के बाद थमाया चैक, पेमेंट रोकी- पीड़िता के मुताबिक पीड़िता ने जब पैसे मांगे तो आरोपी और टालता रहा। बाद में उसका नंबर ब्लाक कर दिया। धोखे का शिकार हुई युवती ने दिसंबर में संजीवनीनगर थाने में शिकायत की थी तो दिनेश ने 15 लाख के चैक दिये थे इसके बाद आरोपी ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद युवती ने चैक बैंक में लगाया तो वह चैक स्टाप पेमेंट करा दिया। इसके बाद उसे रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी।

उज्जैन, बांधवगढ़, छरतपुर, दिल्ली ले जाकर भी लूटी आबरू

पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे घुमाने के बहाने उज्जैन, बांधवगढ़, छतरपुर, दिल्ली पर ले जाकर होटलों में भी शारीरिक संबंध बनाया और इसी दौरान अलग अलग दिनांक में धीरे धीरे करके 17 लाख 79 हजार रूपये ले लिया और विश्वास दिलाता रहा कि जल्द पैसे वापस कर दूंगा। इसके बाद 11 जून 2025 में दिनेश चौहान उसे अपने साथ बांधवगढ़ वाईल्ड हेवन रिसोर्ट ले गया और 2 दिन वहां रूककर साथ शारीरिक संबंध बनाया और वहां से वापस आने के बाद 8 जुलाई 25 को 50 हजार रूपये लिया।

2500 वर्गफुट जमीन निगम ने कराई अतिक्रमण मुक्त

लमती के मानस चौक पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशों के पालन में नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने लमती स्थित मानस चौक पर बड़ी कार्रवाई की। जनहित और सुगम यातायात को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ने यहाँ लगभग 2500 वर्गफुट क्षेत्र को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है।

निगमायुक्त के निर्देशन में टीम ने सुबह ही मानस चौक पहुँचकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की, लगभग 2500 वर्गफुट क्षेत्र, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, उसे पूरी तरह साफ कर दिया गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मानस चौक और आस-पास के क्षेत्रों में यातायात के दबाव को कम करना और स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन आसान बनाना है। क्षेत्रीय नागरिकों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अतिक्रमण हटने से न केवल सड़कें चौड़ी दिखेंगी, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि शहर के व्यवस्थित विकास में बाधा बनने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

छोटी लाइन, गोरखपुर, मदन महल के साथ अन्य क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। जिला, पुलिस और निगम प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से शहर की सड़कों को अतिक्रमण की जकड़न से मुक्त कराने और आम नागरिकों को सुगम यातायात की सौगात देने के लिए नगर निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशों के पालन मे गुरुवार को शहर के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अपर आयुक्त अरविंद शाह और अतिक्रमण प्रभारी मनीष तड़से ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिशंकर चौक और छोटी लाइन फाटक में ट्रैफिक पुलिस और निगम की संयुक्त टीम ने यहाँ ज्लेफ्ट टर्नज् ब्लॉक करने वाले ऑटो चालकों और अवैध पार्किंग पर कड़ा प्रहार किया। कार्रवाई के दौरान 12 ऑटो और ई-रिक्शा जब्त किए गए, जिससे अब मोड़ पर वाहनों की आवाजाही आसान हो गई है।

विस्थापितों को तेवर में कराया गया शिफ्ट- वहीं आदिशंकर चौक स्थित सब्जी मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए रास्ता बाधित करने वाली दुकानों को हटाया गया। इस दौरान बाजार विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 21,000 रुपये का बकाया किराया भी वसूला और कब्जा की गई दुकानों को खाली कराया। राजस्व विभाग के सहयोग से मदन महल पहाड़ी क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्रवाई की गई। यहाँ से 19 परिवारों को सुरक्षित रूप से तेवर में विस्थापित किया गया, जिससे पहाड़ी के संरक्षण और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गौरीघाट, साउथ एवेन्यू मॉल, बंदरिया तिराहा और लालपुर रोड जैसे व्यस्त इलाकों में फुटपाथों, और सड़क किनारे साफ-सफाई भी की गयी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57